

श्रीमान जी ग्राम अजसरी के पटवारी रिपोर्ट के अन्वये जमाबंदी के खता सं. 171, 68 में जमीन का नाम ज्ञानी पुत्र मुकुना दर्ज है परन्तु जमीन के अन्य दस्तावेजों में (आधार कार्ड, शरात कार्ड, पनायत कार्ड आदि) नाम रामकिंद पुत्र मुकुना दर्ज है जपख रिकॉर्ड में उक्त भूखंड बिरावर का नाम दर्ज है जो इस के अंतः राज्य रिकॉर्ड में अन्य दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नाम रामकिंद पुत्र मुकुना जाति रावत दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 26/09/25 श्रीमपुरा
 श्रीमान जी / मुकुना के रिपोर्ट पटवारी जमीन पानकिंद पुत्र मुकुना के आधार पर, पञ्जाब, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान आदि अन्य राज्यों के अन्वये जमाबंदी के खता सं. 171, 68 में जमीन का नाम ज्ञानी के अन्वये पटवारी रिपोर्ट में दर्ज है।
 26/09/25

तहसीलदार की रिपोर्ट
 प. ह. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की जाने की अभियोजना की जाती है।
 शिविर प्रभारी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 494

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक / 209

दिनांक:- 29-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अजसरी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 171, 68 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	ज्ञानी पुत्र मुकुना जाति - रावत शेष अजसरी	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित मुकुना		रामकिंद पुत्र मुकुना जाति - रावत शेष अजसरी	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित मुकुना	



क्रमांक :- 5118-19

दिनांक :- 29-9-25

प्रतिलिपि :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पत्रावली
 2) आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर